राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार सेडवा, जिला बाडमेर

राजस्व मुकमदमा सं. 12/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये पटवारी
भैरूडी

बनाम

विप्रार्थी

मंगलसिंह पुत्र स्वरूपसिंह
कौम– राजपुत
निवासी– भवनीपूरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

आदेश

निर्णय दिनांक 01.10.2018

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **भैरूड़ी** ने रिर्पोट प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि ग्राम **भवानीपुरा** के खसरा सं. **213/121** रकबा **07.00** बीघा पर अवैध रूप से काश्त/कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। विप्रार्थी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस दिया गया जो विप्रार्थी को नोटिस बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ विप्रार्थी उपस्थित हुआ।

विप्रार्थी ने उपस्थित होकर कब्जा करना स्वीकर किया विवादित आराजी के सम्बन्ध मे बाबजुद अवसर अपने पक्ष /स्वामित्व के सम्बन्ध मे कोई लिखित सबूत प्रस्तुत नही है इस प्रकरण मे हल्का पटवारी की रिर्पोट अनुसार अवेध रूप से राजकीय भूमि पर कब्जा करना पाया गया ।

बहस सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया आलौच्च प्रकरण मे पटवारी हल्का से प्राप्त रिर्पोट अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि की किस्म **गैर मुमकिन धोरा** है, विप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः विप्रार्थी को विवादग्रस्त राजकीय भूमि पर बतौर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से अतिक्रमित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है एव उक्त आराजी पर अवेध कब्जा करने पर बतौर लगान शास्ति के वार्षिक लगान **0.42 का 50 गुणा के अनुसार रूपये 21.00** अक्षरे :– **ईकिस रूपये** जुर्माना आरोपित किया जाता है भू.अभिलेख निरीक्षक हल्का **बामडला** को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त भूमि पर गैर सायल का नाजायज कब्जा शुदा भूमि से बेदखल कर मांग कायमी हेतु हल्का पटवारी **भैरूड़ी** एवं राजस्व लेखाकार को सूचित हो पत्रावली बाद आदेश की पालना होकर पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक **01.10.2018** का सरे इजलास लिखकर सुनाया गया ।

1/10/18

तहसीलदार सेडवा